अंतिम तिथि 31.07.2008

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 1521/286/आउशि/छात्रवृत्ति/08 भोपाल, दिनांक – 3/7/08

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर संभाग
   मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य
   समस्त शासकीय महाविद्यालय
   मध्यप्रदेश
4. संचालक,
   फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान
   पुणे (महाराष्ट्र)
5. संचालक
   राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्राहलय,
   नई दिल्ली
6. संचालक
   राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
   नई दिल्ली।

विषयः–**मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म·प्र·के भूमिहीन कृषि श्रमिको के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं एकीकृत छात्रवृत्तियाँ वर्ष 2008–09**

—00—

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के **भूमिहीन कृषि श्रमिको के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं एकीकृत छात्रवृत्तियाँ वर्ष 2008–09** हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31.07.2008 निर्धारित की गई है।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2008 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाय। पत्र के साथ मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है। निर्धारित तिथि के बाद आये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल--462004

अंतिम तिथि 31.07.2008

राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्ति वर्ष 2008–09

शिक्षा सत्र 2008–09 में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर, दी गई समय सीमा अधिकतम दिनांक 31.07.08 तक प्राप्त हो जाने चाहिये । पात्रता/शर्तें निम्न है :–

1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2007–08 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को ही आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी ।

2. यह छात्रवत्तियों केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिए दी जाती है ।

3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति, व्यवसायिक महाविद्यालय में प्रवेश पाने पर स्थानान्तरित नहीं की जावेगी ।

4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों के ही आवेदन मान्य किय जायेंगे।

5. एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 25,000/– से अधिक न हो ।

6. वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा दिनांक 31.07.2008 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा।

9. इच्छुक छात्र–छात्राऐं अपने शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख के माध्यम आवेदन प्राप्त कर से भेजे ।

आवेदन पत्र संचालनालय को भेजने के पूर्व संस्था प्रमुख उन्हें भेजी गई छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के अध्याय–3 पृष्ठ 28–29 में दी गई प्रकिया अनुसार कार्यवाही करें ।

10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम आवेदन के ऊपरी भाग में बड़े अक्षरों में लिखें।

11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख द्वारा आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बड़े अक्षरों में आय सीमा की बड़ी रबर मोहर आवेदन की मुख्य पृष्ठ पर लगाये।

12. संकाय वार छात्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र / छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1.	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/-	1.म0प्र0 में किसी विश्ववि.में शोध कार्य के लिए पंजीयन (आर.डी.सी.) में साक्षात्कार के उपरांत किया हो । 2. पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो
2.	एम.फिल	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300/-	1. स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
3.	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/-	वर्ष 2007–08 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
4.	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/-	1. वर्ष 2007–08 में अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
5.	खेल–कूद	छात्र छात्राऐं	11 11	150/-	जो छात्र मध्य प्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हो ।
6.	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/-	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2007–08 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
7.	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/-	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2007–08 में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो
8.	फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पूणे		2	600/-	मध्य प्रदेश के [illegible] द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर
9.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली		2	600/-	———————"———————
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली		2	600/-	———————"———————

11.	संस्कृत छात्रवृत्तियां				वर्ष 2007–08 को उपाधि परीक्षा में 50प्रतिशत प्राप्त किये हो ।
		1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	7	250/–	वर्ष 2007–08 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
		2. आचार्य	7	250/–	10+2 की वर्ष 2007–08 की परीक्षा में या उस के समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
		3. स्नातक (बी.ए. क्लासिक)	11	150/–	
		4. शास्त्री	18	150/–	———"———
		5.उत्तर मध्यमा	33	75/–	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो
		6. पूर्व मध्यमा	33	75/–	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो
		7. प्रथमा	91	50/–	पांचवी परीक्षा में याग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्रों को

टिप्पणी:–

1. उपरोक्त जानकारी बेव साइट– www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है । साथ ही संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

2. आवेदन पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल को दिनांक 31.07.2008 तक प्राप्त हो जाना चाहिए । विलम्ब से प्राप्त आवेदन अमान्य किये जायेंगे। संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

इस संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल में पदस्थ अपर संचालक (छात्रवृत्ति) से भी दूरभाष कमांक–**0755–2552823** पर संपर्क किया जा सकता है ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

महाविद्यालय/संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. को दिनांक ....जो कक्षा ....में नियमित /पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया था और उसका अध्ययन जारी है ! मैंने इस फार्म की प्रविष्ठियों की जांच कर ली है वे सही है ।

2. विद्यार्थी द्वारा जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जा रहा है वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम है ।

3. इस संस्था में प्रवेश के लिए छात्र द्वारा उसके आवेदन पत्र पर मैं भी यह प्रमाणित करता हूं कि उसने इसके पहले किसी भी विध्वंसक कार्यवाही जिसमें हड़ताल भी शामिल है, मे भाग नहीं लिया है , और उसका आचरण अच्छा है ।

संलग्न सहपत्रों की संख्या :–

महाविद्यालय/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

अंतिम तिथि 31.07.08

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को "व्यावसायिक शिक्षा" के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना वर्ष 2008–2009

शिक्षा सत्र 2008–09 के लिये उपर्युक्त श्रेणी के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये "100" छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाने के लिये निम्नलिखित पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.08 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

(1) पात्रता:–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
2. केवल वे ही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2007–08 में हाई स्कूल/हायरसेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । (हाईस्कूल) (10वीं) हायर सेकेन्डरी (10+2)
4. भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हों, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो ।
5. छात्र/छात्राओं के पालकों को आय सीमा रूपये 25,000/–(रू.पच्चीस हजार मात्र) वार्षिक से अधिक न हो । इस हेतु आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जायेगा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो ।

नोट :–

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबंधित निम्न पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है :–

1– पालिटेक्निक
2– इंजीनियरिंग–बी.ई.
3– चिकित्सा शिक्षा (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.)
4– पैरामेडिकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत)
5– कृषि इंजिनियरिंग (बी.ई.ए.जी., डी.ई.ए.जी.)
6– बी.एस.सी. (नर्सिंग)
7– सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हो, जैसे:– बी.लिब., बी.एड., बी.पी.एड., बी.ए.एल.एल.बी., आदि ।

(2) छात्रवृत्ति की राशि:–

इसके अन्तर्गत विद्यार्थीयों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष **2,500/–(दो हजार पांच सौ मात्र)**की छात्रवृत्ति देय होगी ।

ये छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्राप्त होगी अर्थात स्नातक अंतिम वर्ष तक प्रदाय की जायेगी ।

(3) **चयनः—**

इस छात्रवृत्ति का चयन एक समिति द्वारा केवल छात्रवृत्ति को समय सीमा में योग्यता के आधार पर अर्थात मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से ही किया जावेगा ।

(4) **नवीनीकरण :—**

विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक कार्य निष्पादन, संतोषजनक प्रगति एवं आचरण नियमित उपस्थिति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद समुचित प्रतिपूर्ति के आधार पर संस्था प्रमुख द्वारा नवीनीकरण किया जायेगा । बजट की मांग संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश से संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।

(5) **अन्य शर्ते :—**

छात्रवृत्ति धारक जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है । उसके लिए अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा बजीफा प्राप्त नहीं करेंगा । यदि ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही होगी, तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोड़ना पडेगी, अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

समुचित प्रतिपूर्ति के बाद आवेदन —पत्र इस कार्यालय में अपर संचालक, उच्च शिक्षा (छात्रवृत्ति) के नाम से दिनांक 31.07.2008 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2008–09

अंतिम तिथि 31.07.08

फोटो प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

1. विद्यार्थी का पूरा नामः..
2. महाविद्यालय/संस्था जिसमें प्रवेश लिया हो ....
3. कक्षा जिसमें प्रवेश लिया हो ....
4. पिता/अभिभावक का पूरा नाम..
5. व्यवसाय ....
6. माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय..........
   (नोटरी/कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करे)
7. जिस संस्था में अध्ययन किया हो उसके ब्यौरे (सत्यापित अंक सूची संलग्न करें)

कमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुकमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	८	9

8. भूमिहीन कृषि श्रमिक के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाणपत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो ।
9. (क) उस संस्था/महाविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2008–09 के लिए प्रवेश लिया हो – ....
   (ख) आवेदक के प्रवेश की तिथि ....
   (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो । ....
   (घ) व्यावसायिक पाठ्यकम की अवधि (इस हेतु प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
10. मैं एतद् द्वारा यह घोषित करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही है ।

मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि यदि आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया गया तो सम्पूर्ण समय अध्ययन में लगाउंगा, और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः–दिनांकः–

–: घोषणा :–

1. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य है ।

2. मैं यह भी घोषित करता हूं/करती हूं कि मेरा आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं इमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूंगा/रहूंगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतो से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूगी ।

3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।

4. मैं यह भी घोषित करता हूं कि यदि मेरे द्वारा शोधावधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुये पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन द्वारा पी.एच.डी. हेतु दी गई राशि को ब्याज सहित वापस करूंगा/करूंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः–––––––––
दिनांकः–––––––––
संलग्न सहपत्रों की संख्या

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... .... को दिनांक........................ को पी.एच.डी........................ में नियमित/पूर्णकालिन छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र पर प्रविष्टियों की जांच कर ली है, वे सही है ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उक्त शोधार्थी का कार्य, व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील